Need to implement Uniform Civil Code in the country-Laid

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): एक राष्ट्र एक कानून और एक लोक के आधार पर हर राष्ट्र में एक ही कानून संचालित है । देश में संविधान अलग एवं धार्मिक कानून अलग अलग एक साथ काम करते हैं । अब बढ़ती आबादी एवं समान अधिकार के आधार पर एक देश एक कानून की आवश्यकता है । इसलिए समान नागरिक संहिता लागू किया जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में निर्देशित है कि राज्य, भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा । इस संहिता के जरिये समान नागरिक संहिता पर्सनल लॉ बोर्ड के संबंध में धार्मिक भेद-भावों का अंत किया जायेगा तथा सभी नागरिको के लिए एक कानून की वकालत की जाएगी । अनुच्छेद 44 के अनुसार भारत में समान नागरिक संहिता लागू किया जाना सरकार का दायित्व है जिसका लाभ देश के नागरिकों विशेषकर महिलाओं को मिलेगा एवं भेदभाव समाप्त होगा । सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि, माननीय न्यायाधीश, सांसदगण, विधायकगण, भारत के संविधान का पालन करने की शपथ लेते हैं । इनका दायित्व है कि वे सभी संविधान का पालन करें एवं समान नागरिक संहिता को लागू करायें । माननीय मंत्री महोदय से देश में समान नागरिक संहिता लागू कराये जाने का अनुरोध है ।